इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2017—श्रावण 4, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्र. 18563-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 26 जुलाई 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा २ में, खण्ड (क-दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क-दो) "प्रशासक" से अभिप्रेत है तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक अथवा सोसाइटी अथवा उसी वर्ग की सोसायटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिये रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा;";

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के कतिपय उपबंध के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक अनुभव की गयी हैं. अतएव, अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं:—

खण्ड २— धारा २ में दिए गए "प्रशासक" की परिभाषा के क्षेत्र को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ताकि रजिस्ट्रार शासकीय सेवक के साथ प्रशासक के रूप में सोसाइटी के पात्र सदस्य की भी नियुक्ति कर सके.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : २१ जुलाई, २०१७

विश्वास सारंग
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.